



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल वालियर म.प.

119 - 380 - I 16

पु. क्र. 16 पुनरीक्षण

माननीय राजस्व मण्डल वालियर

आज २८-१-६ को

पत्रकांडा को  
राजस्व मण्डल म.प्र. वालियर

28-1-16

मण्डल कुमार पुत्र रघुवीर प्रताद

जाति ब्राह्मण, व्यवसाय कृषि,

निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा बरकापुरा

तहसील गोरमीपरगना मेहगांव जि.

मण्डल म.प.

----- आवेदक

बनाम

1- मध्य प्रदेश शासन

2- रामदुलारे पुत्र शंकरलाल जाति

ब्राह्मण आयु 7। वर्ष व्यवसाय कृषि

निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील

गोरमी परगना मेहगांव जिला मण्ड

ल म.प. ----- अनावेदक गण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्रीमनीष

श्रीवास्तव नायब तहसीलदार गोरमी

द्वारा अंगम रूप से निर्णीत एवं दाखिल

रिकोर्ड पु. क्र. 148/08-09 बी 121

को अवैध व अनाधिकृत रूप से रीओ पिन

करने के आदेश दि. 19.8.15 के

पिलौद्ध।

अन्तिम धारा 50/14 ४५४ ४५४ म.प.

भू. रा. सं.

श्रीमान जी,

सेवा में आवेदक को ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र

निम्न भाँति प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के संक्षिप्त कथन :-

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-380-एक/16

जिला- भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१८ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">४</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: right;">४</p>	